प्रेस–विज्ञप्ति

पर्ची के आधार पर पार्टी विशेष को पट्रोल दिये जाने पर दो पेट्रोल सील।

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 के अन्तर्गत ग्राम गर्रा में संचालित शंकर पेट्रौल पम्प और आंवला झरी में वैन गंगा ऑटो मोबाइल पेट्रोल पम्प के मैनेजर द्वारा मोटर साइकिल के चालकों को बिना पैसा लिये पर्ची के आधार पर पेट्रोल दिये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर एफ.एस.टी. द्वारा मौके पर जा कर जांच की गई। कई जांच में पाया गया कि पैट्रोल पम्म संचालित द्वारा भारतीय जनता प्रार्टी के प्रचार के लिये गाड़ियों को बिना पैसे लिये पेट्रौल दिया जा रहा था मौके की विडियोग्राफी कराई गई और इसकी सूचना संबंधित विभाग के अधिकारियों को दी गई। स्टॉक का सत्यापन किये जाने पर 245 किलो पैट्रोल कम पाया गया। इस संबंध में पैट्रोल पम्प के मैनेजर के विरूद्ध आचार संहिता का उल्लंघन करने और पार्टी विशेष के पक्ष में बिना पैसा के पैट्रोल उपलब्ध कराने के आरोप में भारतीय दण्ड संहिता के धारा 188 और 171–बी एवं 171–ई एस लगाकर 171 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कराया गया।

इसी प्रकार ग्राम आंवला झरी तहसील बालाघाट की बैन गंगा आटोमोबाइल के पेट्रौल पम्प के विरूद्ध शिकायत पर एएसटी द्वारा मौके पर जांच कर विडियों ग्राफी कराई गई और पाया गया कि समाजवादी पार्टी के झण्डे लगे दो पहिये वाहनों को बिना पैसे लिये पर्ची के आधार पर पैट्रोल दिया जा रहा है। प्रकरण कर पंचनामा बनाकर उपरोक्त धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं पंजीबद्ध कर सील कर दिया गया है।